an>

Title: Need to take action against the health tonic manufacturing companies producing sub-standard products.

श्री रत्न लाल कटारिया (अम्बाला) : महोदया, मैं माननीय उपभोक्ता एवं सार्वजनिक वितरण प्रणाली मामलों के मंत्री का ध्यान देश में हैल्थ सप्लिमेंट के नाम पर बिक रहे कैप्सूल, टैबलेट एवं अन्य जैल की बिक्री की ओर दिलाना चाहता हूँ, जो कि 70 प्रतिशत से अधिक गुणवत्ता के आधार पर सबस्टैंडर्ड के पाए जाते हैं और वह आईएसआई मार्का से अधिकृत किसी भी कंपनी द्वारा नहीं बनाए जाते हैं। आज भारत में इन हैल्थ सप्लिमेंट्स का बाजार दो अरब मिलियन डॉलर का है, जिसके सन् 2020 तक चार अरब मिलियन डॉलर तक बढ़ जाने की उम्मीद जताई जा रही है। यद्यपि भारत सरकार ने हाल ही में बिज़नस ऑफ स्टैण्डर्ड ब्युरो के अंतर्गत वस्तुओं की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए एक कठोर कानून पास किया है, जिसके अंतर्गत न केवल वस्तुओं की क्वालिटी बनाए रखने का प्रावधान है, बल्कि उलंघन करने वाली कंपनियों के विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही का भी प्रावधान है। अतः मैं मंत्री महोदय से यह प्रार्थना करना चाहुंगा कि इन सबस्टैण्डर्ड हैल्थ सप्लिमेंट के नाम पर धड़ल्ले से जो बिक रहे हैं और ऐसी कंपनियों के विरूद्ध कड़ी कार्रवाई की जाए।

माननीय अध्यक्ष :

श्री भैरों प्रसाद मिश्र एवं

डॉ. मनोज राजोरिया को श्री रत्न लाल कटारिया द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।